न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 15/2022 **दायर दिनांकः 08/04/2022**

उनवान

1. मोहनलाल उम्र 78 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति रेगर निवासी कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

आदेश **दिनाकः 30/01/2023**

पत्रावली पेश हुई। उपभ पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल आसन पटवार हल्का जिरोद तहसील अटरू में खाता संख्या 32 के खसरा न. 7 का रकबा 1.60 है. कुल किता 1 का रकबा 1.60 है. भूमि दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी मोहनलाल के पिता का नाम चुन्नीलाल सहवन से पटवारी हल्का ने नामान्तरण दर्ज करते वक्त गलत दर्ज कर दिया है। जिससे प्रार्थी को कृषि सम्बंधित सुविधाये लेने व कृषि ऋण प्राप्त करने आदि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा भूमि का विकास भी नहीं करवा पा रहा है। जिसे प्रार्थी अपने पिता के नाम को चुन्नीलाल के बजाय जगन्नाथ दुरुस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने दिनांक 22.03.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकॉर्ड में हो रही त्रुटि को दुरुस्त करने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए

माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी एवं बैंक खाता आदि दस्तावेजों में तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज चला आ रहा है। उक्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी इस अनुसार प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटी को दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम आसन तह, अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल के स्थान पर मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ बाद दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित क.सं 1 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट ग्राम आसन के खाता स. 32 में ख0न0 7 रकबा 1.60 किता 1 कुल रकबा 1.60 हे0 में खातेदार मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति रैगर सा० कुंजेड़ दर्ज है। ग्राम आसन में नामां संख्या 114 स्वीकृत दिनांक 08.04.2015 को चुन्नीलाल पुत्र कालू जाति रैगर का फोती इंतकाल खोला गया। इंतकाल खुलने पर चुन्नीलाल के वारिस दर्ज होने पर मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल दर्ज किया गया। मोहनलाल के पिता का नाम चुन्नीलाल है अथवा जगन्नाथ प्रार्थी स्वयं साबित करें। मद संख्या 3 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 4 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 5 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 6 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 7 में वर्णित कथन कानूनी है । मद संख्या 8 में वर्णित कथन कानूनी है।

3. साक्ष्यप्रार्थी के तहत pw 1 मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति रेगर निवासी कुंजेड का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यप्रार्थी ने सशपथ बयान किया कि मेरा सही नाम मोहनलाल पुत्र

जगन्नाथ है। मेरे सभी दस्तावेजों में भी मेरा नाम मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ है। परन्तु मेरा नाम नकल जमाबन्दी में खाता संख्या 32 ख0नं0 7 का रकबा 1.60 है में गलत दर्ज कर दिया गया है। इसलिए नकल जमाबन्दी में मेरा सही नाम मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज किया जावे।

4. अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल खरखडा आसन पटवार हल्का जिरोद तहसील अटरू में खाता संख्या 32 के खसरा न. 7 का रकबा 1.60 है. में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल के स्थान पर मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ बाद दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें । प्रार्थी की मतदान पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र दिनांक 26.03.2022 आदि में नाम मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ है जबकि राजस्व कार्मिकों ने त्रुटिवश राजस्व रिकार्ड में मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल कर दिया है जिसे दुरूस्त किया जावे।

5. अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आसन की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 32 ख0नं0 7 रकबा 1.60 है0 आराजी मोहनलाल पुत्र चन्नीलाल जाति रेगर के दर्ज खाता स्थित है। पेरोकार सरकार के जवाब दावा क्रमांक/राजस्व/2022/1912 दिनांक 20.07.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम आसन की विवादित आराजी ख0नं0 7 रकबा 1.60 है0 मूलतः चुन्नीलाल पुत्र कालू जाति रेगर के खाते दर्ज थी। मूल खोतदोर चुन्नीलाल की मृत्यु के बाद वादी को उनका दत्तक पुत्र मानकर उनके पक्ष में फौती इंतकाल संख्या 114 दिनांक 08.04.2015 तस्दीक किया गया। प्रार्थी द्वारा इन्तकाल संख्या 114 दिनांक 08.04.2015 की प्रतिलिपी पेश नहीं की गई है। जब प्रार्थी को खातेदार चुन्नीलाल द्वारा गोद लिया गया था तो प्रार्थी ने अपने दस्तावेज जेसे मतदान पहचान पत्र दिनांक 18.08.2008 प्रदर्श 3ए, आधारकार्ड प्रदर्श 4ए, राशनकार्ड वर्ष 2002 प्रदर्श 5 ए, बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा कुन्जैड की पास बुक प्रदर्श 6ए, आदि में अपने गोदग्रहिता पिता चुन्नीलाल की जगह मूल पिता/जैविक पिता जगन्नाथ का नाम क्यों अंकित किया गया है। प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान यह स्पष्ट नहीं किया कि वह अपने गोदग्राहिता पिता चुन्नीलाल की आराजी में अपने पिता का नाम बदलकर चुन्नीलाल की जगह जैविक पिता का नाम यानी जगन्नाथ क्यों दर्ज कराना चाहता है ? प्रार्थी एक हिन्दू है और हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण

अधिनियम 1956 के अधीन शासित होगा। इस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार ***"दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रायोजनों के लिए समझा जायेगा और ऐसी तारीख से यह समझा जायेगा कि उस अपत्य के अपने जन्म के कुटुम्ब के साथ समस्त बंधन टूट गये है और उनका स्थान उन बन्धनों ने ले लिया है जो दत्तक कुटुम्ब में दत्तक के कारण सृजित हुऐ हो"।*** यदि प्रार्थी मोहनलाल को मृतक मूल खातेदार चुन्नीलाल द्वारा हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 से 11 के अधीन विधिवत रूप से गोद लिया था तो ही मृतक मूल खातेदार चुन्नीलाल की सम्पत्ति में प्रार्थी को हक व अधिकार मिलेगा चूंकि ग्राम आसन के ख0नं0 7 की जमाबन्दी संवत 2071–74 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक मूल खातेदार चुन्नीलाल की मृत्यु के बाद उनकी आराजी में प्रार्थी मोहनलाल को उनका दत्तक पुत्र मानकर खाते दर्ज की गई है। अतः अब प्रार्थी का उनके मूल पिता जगन्नाथ के कुटुम्ब के साथ गोद लिये जाने की तारीख से कानूनन कोई संबंध नहीं है और इसलिए प्रार्थी मोहनलाल के पिता का नाम गोद लिये जाने के बाद से वास्तविक नाम चुन्नीलाल ही होगा। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम चुन्नीलाल की जगह जगन्नाथ नही किया जा सकता है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से जाहिर है कि प्रार्थी के वास्तविक पिता का नाम चुन्नीलाल है न कि जगन्नाथ है। अतः रिकार्ड एवं साक्ष्यों के आधार पर ग्राम आसन की विवादित आराजी के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में अस्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा ग्राम एवं माल आसन पटवार हल्का जिरोद तहसील अटरू के ख0नं. 7 का रकबा 1.60 है0 आराजी के संबंध में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट. **खारिज** किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां